

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2024–2025 (कर निर्धारण वर्ष 2025–2026)Old Scheme

1

नाम कर्मचारी :

कर्मचारी सं.

पद

जन्म तिथि :

पेन न. (यदि प्रथम बार JDA में दिया जा रहा है तो प्रति भी दे) :

मोबाइल न.

2

आय: वर्ष–2024–2025 में प्राप्त कुल वेतन

रु.

3(a)

मानक कटौती (अधिकतम 50000 रु धारा 16 के अनुसार)

रु.

3(b)

गृह किराया, धारा 10(13–(A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14) के अन्तर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त है।

रु.

4

..... शेष (2–(3a-3b))

रु.

5

(i) मनोरंजन भत्ता धारा 16(ii) के अन्तर्गत रु.

(ii) व्यवसाय कर धारा 16(iii) के अन्तर्गत रु.

योग 5 (i + ii) रु.

6

.....

शेष (4–5) रु.

7

(अ) गृह सम्पत्ति से आय : (i) स्वयं के उपयोग में – शून्य

(ii) प्राप्त किराया

(ब) घटायें:

किराये का 30%

गृह ऋण पर ब्याज

गृहकर

योग

रु.

रु.

रु.

रु.

8

.....

शेष– (7 (अ) एवं योग 7 (ब) का) रु.

कुल शेष–/ (6 एवं 7 का)

रु.

9

अन्य आय

रु.

10

सकल आय

रु.

11

घटाइये कटौतियाँ :- (US 80C, 80CCC, 80 CCD)

(1) पेंशन प्लान हेतु अंशदान (धारा 80CCC)

(2) पेंशन योजना में अंशदान (धारा 80CCD1) ECPF

(3) राज्य बीमा

(4) जीवन बीमा प्रीमियम

(5) राष्ट्रीय बचत पत्र

(6) लोक भविष्य निधि

(7) सामान्य प्रावधानी निधि

(8) यू. एल. आई. पी. वार्षिक प्लान

(9) पी. एल. आई.

(10) गृह ऋण किस्त

(11) ट्यूशन फीस

(12) स्थगित वार्षिकी (Defferred Annuty)

(13) इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम

(14) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत्त ब्याज

(15) इन्फ्रास्टेक्चर बॉन्ड्स में निवेश

(16) अन्य

कुल योग..... (11) (1 से 16) अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक होगी

रु.

अन्य कटौतियां

12a

पेंशन योजना में अंशदान (धारा 80CCD2) GCPF (Not Exceeding 10% of Salary of Previous Year)

.....

12b

NPS पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (धारा 80CCD(1(B))(अधिकतम 50,000 रु.)

.....

13

राजीव गंधी इक्विटी सेविंग स्कीम में विनियोजन धारा 80CCG (के अनुसार छूट देय)

.....

14

चिकित्सा बीमा प्रीमियम 80(D) (के अनुसार छूट देय)

.....

15

आश्रित विकलांग के अनुरक्षण/चिकित्सा उपचार 80DD (के अनुसार छूट देय) (अधिकतम 75,000 तथा 80 : विकलांगता पर 1,25,000/–)

.....

16

विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (80DDB) (के अनुसार छूट देय) (अधिकतम 40,000 सीनियर सिटीजन हेतु 1,00,000)

.....

17

उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर ब्याज का भुगतान की राशि धारा 80(ई)(अधिकतम 8वर्ष)

.....

18

भुगतान किये गये भवन किराये के बारे में कटौती (80 GG) (अधिकतम 5000 प्रतिमाह ,संवतन का 25 प्रतिशत,व चुकाये गये वास्तविक किराये में से वेतन के 10 प्रतिशत घटाने के बाद शेष राशिकिराये पर धारित मकान हेतु निम्न में से न्यूनतम राशि की छूट देय होगी)

.....

19

शारीरिक विकलांग (80U) अधिनियम 75,000 तथा 80 प्रतिशत विकलांगता पर 125000

.....

20

बचत खाते पर ब्याज धारा 8o TTA Rs.10000.00 & Senior Citizen on All Type of Interest 8o TTB Rs. 50000.00

.....

21

कुल कटौती (11 से 20 का योग)

.....

22

कर योग्य आय (10–21)

.....

23

आयकर की गणना

.....

एक व्यक्ति करदाता

वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक किन्तु 80 वर्ष तक)

किराये पर धारित मकान हेतु निम्न में से न्यूनतम राशि की छूट देय होगी

2,50,000 रु. तक

शून्य

3,00,000 रु. तक

शून्य

1. संवेतन का 40 प्रतिशत

2,50,001 से 5,00,000 तक

5%

3,00,001 से 5,00,000 तक

5%

2. वास्तविक प्राप्त मकान किराया भत्ता

5,00,001 से 10,00,000 तक

20%

5,00,001 से 10,00,000 तक

20%

3. चुकाये गये वास्तविक किराये में से वेतन के 10 प्रतिशत घटाने के बाद शेष राशि

10,00,001 एवं अधिक

30%

10,00,001 एवं अधिक

30%

यहां संवेतन से आश्रय वेतन के मूल एवं महंगाई भत्ते के योग से है

(i)

कुल आयकर

.....

(ii)

घटायें : कर योग्य आय (22) 5 लाख तक होने पर कर छुट 12500/–तक धारा 87A

.....

(iii)

कुल आयकर(i-ii)

.....

(iv)

उपकर 4% (आयकर पर)

.....

(v)

कुल आयकर (उपकर सहित) (iii+iv)

.....

23

स्रोत पर आयकर कटौती का विवरण

(प्रतिनियुक्त (JDA कर्मचारी हेतु) कर्मचारी हेतु)

नवम्बर 2024 तक

दिसम्बर, 2024 में

जनवरी 2025 में

फरवरी 2025 में

मार्च 2025 में

टी.डी. एस. (कुल)2024–25

योग

रु.

रु.

रु.

रु.

रु.

रु.

रु.

हस्ताक्षर

आयकर देय/वापसी योग्य शेष–/रु.